

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या:- ७७० /XVII-3 /10-36(स०क०) /2002 टी०सी०-३
देहरादून: दिनांक: २ जून, 2010

अधिसूचना

वक्फ अधिनियम, 1995, (अधिनियम संख्या-43, सन् 1995) की धारा-14 की उप धारा (9) के अधीन शक्ति का प्रयोग कराने, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी अधिसूचना संख्या-2416 / स०क० / 2003-36(रा०क०) / 2002 दिनांक ०६ सितम्बर, 2003 द्वारा स्थापित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं:-

1. मोहम्मद शहजाद,
सदस्य विधानसभा, उत्तराखण्ड,
बहादराबाद, हरिद्वार।
2. हाजी तसलीम अहमद,
रादरग निधानरामा, उत्तराखण्ड,
लालकाम, हरिद्वार।
3. रुश्मी रंजिया वेण,
अधिवक्ता,
60-घोसी गली,
देहरादून।
4. मोहम्मद अकरम,
इन्तेजामिया कमटी,
जामा मस्जिद, रामनगर,
नैनीताल।
5. श्री हफीजुर्रहमान,
38, मौहल्ला सती,
रुड़की, हरिद्वार।
6. डॉ जाकिर हुसैन,
15-गांधी नगर,
हल्द्वानी-नैनीताल।
7. श्री असगर अली,
ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी,
लण्ठौरा, नारसन,
हरिद्वार।
8. श्री मुफ्ती रईस अहमद कासमी,
आजाद कॉलोनी, निकट-आई०एस०बी०टी०,
देहरादून।
9. श्री हाजी राव शराफत अली,
साबरी कॉलोनी, गली नं०-२,
पिरान-ए-कलियर शरीफ,
रुड़की, हरिद्वार।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण विभाग
संख्या: २५१६/ स.क./ २००३-३६(समाज कल्याण) / २००२
देहरादून: दिनांक: ०६ सितम्बर, २००३

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, १९९५(अधिनियम संख्या ४३, १९९५) की धारा-१०२ की उपधारा-२ के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक ३१ अगस्त २००२ की अधिसूचना संख्या १८१०/ स.क.-०२-३६(कल्याण) / २००२ का अतिक्रमण करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल उक्त अधिनियम की धारा-१३ की उपधारा-(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एस. के. मुद्रदू
सचिव

संख्या: २५१६ (१) / स.क. / २००३ तददिनांक

प्रतिलिपि: उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी(इरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर गजट की ५०० प्रतियों समाज कल्याण अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
अनु सचिव

संख्या: २५१६ (२) / स.क. / २००३ तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- १ निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल
- २ निजी सचिव, ना. मुख्य मंत्री उत्तरांचल
- ३ निजी सचिव मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल